

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)**(समक्ष: मोहम्मद अजहर)****दॉ.अपील क्र.-140/14****संस्थित दिनांक-15/01/14**

1. पहाड़ सिंह पुत्र दशरथ सिंह आयु 38 साल

2. जवान सिंह पुत्र दशरथ सिंह आयु 36 साल
जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम खेरियागजू
थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0**.....अपीलार्थीगण****बनाम**माध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0**.....प्रत्यर्थी**राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।**// निर्णय //****(आज दिनांक 17/05/2017 को घोषित किया गया)**

1. यह अपील धारा-374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड (श्री केशव सिंह) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 180/07, अपराध क्रमांक 38/07 उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ, गोहद बनाम पहाड़ सिंह एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 19.12.13 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा-325 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कठिन कारावास एवं 500-500/-रुपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 6-6 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताए जाने के दण्ड से दण्डित किया है।

2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 21.03.07 को फरियादी कोकसिंह दोपहर 02:00 बजे के लगभग अपने गांव खेरियागजू से गोहद साइकिल से आ रहा था। प्रतापपुरा के पास हार के रास्ते में पहाड़ सिंह लुहांगी लिए तथा जवान सिंह लाठी लिए मिले और कोकसिंह का रास्ता रोककर मां की अश्लील गाली देते बोले कि वह उनके खिलाफ गवाही दे रहा है और वह उसे देखते हैं कि गवाही

कैसे देता है। पहाड सिंह ने कोकसिंह को लुहांगी मारी जो बाएं पैर के टखने में लगी। जिससे चोट होकर सूजन आ गई। एक लाठी जवानसिंह ने कोकसिंह को मारी जो बाएं हाथ की कलाई एवं कोहनी के पास लगी, जिससे चोट लगकर सूजन आ गई। फिर पहाड सिंह ने लुहांगी मारी जो बाएं पैर की पिड़ली में लगी जिससे चोट लगकर सूजन आ गई तथा खून निकलने लगा। उसी समय मंगल सिंह एवं भगवान सिंह पैदल आ रहे थे, जिन्होंने उसे बचाया। दोनों अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुरानी रंजिश पर से दोनों अभियुक्तगण ने कोकसिंह की मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-01 के रूप में थाना गोहद में फरियादी कोकसिंह द्वारा दर्ज कराई गई। कोकसिंह का मेडीकल परीक्षण कराया गया। जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-02 है। जिसमें सीधे पैर व बाएं पैर के एक्सरे की सलाह दी गई। एक्सरे कराने पर प्र0पी0-03 की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार बाईं फिबुला हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया।

3. दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-03 बनाया गया। फरियादी कोकसिंह, साक्षी भगवान सिंह, मंगलसिंह, रामरतन के कथन लिए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। पहाड सिंह के आधिपत्य से एक बांस की लोहे की तार लगी लाठी तथा जवान सिंह के आधिपत्य एक बांस की लाठी जप्त की गई। बाद अनुसंधान धारा-341, 323, 294, 506बी, 325 एवं 34 भा0दं0सं0 के तहत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-341, 294 तथा 325 सहपठित धारा-34 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढकर सुनाए एवं समझाए जाने पर उनके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को भा0दं0सं0 की धारा-341 एवं 294 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करते हुए धारा-325 सहपठित 34 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया है। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील की गई है तथा यह निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

1. क्या दिनांक 21.03.07 को दिन के 02:00 बजे के लगभग प्रतापपुरा के पास हार के रास्ते में अभियुक्तगण ने फरियादी कोकसिंह को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में अपीलार्थी/अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने फरियादी कोकसिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
2. क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

7. अपीलार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक के तर्कों एवं अपील मेमो में लिए गए आधार यह है कि प्रकरण में एफ. आई.आर. लिखने वाले और अपराध की विवेचना करने वाले किसी भी अधिकारी का कोई कथन नहीं कराया गया है। फरियादी कोकसिंह अ0सा0-01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में रंजिश होना स्वीकार किया है तथा अन्य साक्षियों ने भी रंजिश होना स्वीकार किया है। जिससे भी रंजिश के आधार पर गवाही देने की बात को बल प्राप्त होता है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। डॉ0 जी.आर. शाक्य अ0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को उक्त आशय की चोट गिर जाने से आना संभव है जिससे भी अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है। साक्षियों के कथन में भारी विरोधाभास है। भगवान सिंह अ0सा0-04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में पैरा-03 में यह कहा है कि वे सीधे गोहद आए थे और कहीं नहीं रुके थे। जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि रास्ते में कोई झगडा नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब को अनदेखा करते हुए गलत दोषसिद्धि ठहराया है और गलत सजा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डाज्ञा निरस्त किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया गया। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर उभयपक्ष के मध्य पूर्व की रंजिश होना मान्य किया है। परंतु कोकसिंह का अस्थिभंग होना और अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होना मान्य करते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्धि ठहराया है। जैसा कि निर्णय के पैरा-15 से स्पष्ट है। बचाव पक्ष की ओर से भी प्रथम आधार यह लिया है कि विवेचना अधिकारी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने वाले की साक्ष्य नहीं हुई है। विधि का ऐसा कोई सुस्थापित सिद्धांत नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने वाले और विवेचना अधिकारी की साक्ष्य न होने से मामला प्रमाणित नहीं होगा।

9. इस मामले में फरियादी कोकसिंह अ0सा0-01 प्रमुख साक्षी होकर आहत है। जिसने प्र0पी0-01 की रिपोर्ट को प्रमाणित किया है और अपने साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में बताया है। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण से लाठी या लुहांगी जप्त होने के तथ्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक की साक्ष्य का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। कोकसिंह अ0सा0-01 ने यह बताया है कि अभियुक्तगण दशरथ सिंह, पहाड सिंह और जवान सिंह तीनों आए और लाठियों से उसकी मारपीट की, जिससे उसके दोनों पैर व हाथ में चोट आई थी और उसने थाने में प्र0पी0-01 की रिपोर्ट लिखाई थी। यद्यपि उसने दशरथ सिंह के द्वारा भी मारपीट करना बताया है। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में दशरथ सिंह के नाम का कोई उल्लेख नहीं है।

10. डॉ0 जी0आर0 शाक्य अ0सा0-02 ने दिनांक 21.03.07 को फरियादी कोकसिंह का मेडीकल परीक्षण करना बताया है, तथा एक्सरे परीक्षण करना बताया है। एक्सरे में बाएं पैर की निचले हिस्से की हड्डी टूटी होना बताया है। उनकी एम.एल.सी. प्र0पी0-02 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0-03 है। एम.एल.सी. में बाएं पैर के बीच के हिस्से में एक छिला घाव, बाएं पैर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत, दाईं अग्रभुजा में दर्द की शिकायत होना बताया है। रामरतन अ0सा0-03 ने यह बताया है कि कोकसिंह ने उसे बताया था कि पहाड सिंह व जवान सिंह ने उसे लाठी मारी थी। प्रतिपरीक्षण में पुरानी रंजिश होना तथा जवानसिंह और पहाड सिंह द्वारा की गई रिपोर्ट पर से रामरतन व कोकसिंह के विरुद्ध प्रकरण चलना बताया है। परंतु जहां कि अभियोजन साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हो रही है। वहां यह नहीं कहा जा सकता कि रंजिश के कारण झूठा प्रकरण बनाया गया हो। अपितु यह संभावना अवश्य है कि रंजिश के कारण मारपीट की गई है।

11. भगवान सिंह अ0सा0-04 ने भी पहाड सिंह व जवान सिंह द्वारा कोकसिंह की लाठी व लुहांगी से मारपीट करना बताया है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से भी कोकसिंह अ0सा0-01 की साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य की भली भांति पुष्टि हो रही है। चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर जी0आर0 शाक्य अ0सा0-02 के प्रतिपरीक्षण के पैरा-02 में बचाव पक्ष की ओर से सुझाव दिए जाने पर इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कोई व्यक्ति गिर जाए तो उपरोक्त चोटें आना संभव है। साक्षी रामरतन अ0सा0-03 को भी यह सुझाव दिया गया है कि कोकसिंह रास्ते में गिर गया इसलिए उसे चोटें आईं। भगवान सिंह अ0सा0-04 को भी प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि कोकसिंह फिसल कर गिर गया था। जिससे उसके पैर में चोट आई थी। इस तथ्य से इन दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उन्होंने ऐसा बताया ही नहीं है कि कोकसिंह को गिरने से चोट आई है और इस

संबंध में बचाव में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. मानवीय संव्यवहार के साधारण अनुक्रम में यह अस्वभाविक प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक प्रकरण में झूठा फंसा दिया जाए और वह चुप चाप मौन होकर उस प्रकरण के विचारण को झेलता रहे। इस मामले से ऐसा कहीं प्रकट नहीं है कि झूठा फंसाए जाने पर अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कोई कार्यवाही की गई हो या न्यायालय में कोई कार्यवाही की गई हो कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फंसाता है तो अन्य व्यक्ति प्रारंभ से ही झूठा फंसाए जाने के संबंध में कोई न कोई कार्यवाही करता ही है। परंतु इस मामले से ऐसा प्रकट नहीं है। इन परिस्थितियों में फरियादी कोकसिंह अ0सा0-01, रामरतन अ0सा0-03, भगवान सिंह अ0सा0-04 एवं डॉ0 जी0आर0 शाक्य की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है। इस प्रकार उनकी साक्ष्य को विश्वसनीय होना मान्य करते हुए विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

13. जहां तक कि साक्षियों में कुछ भिन्नता और विरोधाभास का प्रश्न है इस संबंध में गंगा भवानी विरुद्ध रायापति वेंकट रेड्डी 2013 सीआरएलजे 4618 (एससी) अवलोकनीय है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि साक्षी की साक्ष्य में थोड़ा विरोधाभास हो तो उन्हें अनदेखा करना चाहिए और साक्ष्य में सुधार किया गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। यदि विरोधाभास ऐसा तात्त्विक हो जो मामले की जड़ तक जाता हो या अभियोजन के मामले को मूलभूत रूप से प्रभावित करता है तो उनके आधार पर साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, केवल साक्ष्य में अतिशयोक्ति कर लेना साक्ष्य को खंडित नहीं करता। यह केवल साक्षी की विश्वसनीयता परखने का एक घटक हो सकता है।

14. न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ यू.पी. विरुद्ध नरेश (2011)4 एस सी सी 320 में यह कहा गया है कि प्रत्येक दाण्डिक मामले में किसी भी गवाह के कथन में भिन्नता आना स्वाभाविक है, क्योंकि निरीक्षण में त्रुटि, याददाश्त की कमी, घटना के कारण शॉक लगना इसके कारण हो सकते हैं। इस मामले में यही कहा गया कि छोटे विरोधाभास को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। यही स्थिति इस प्रकरण में भी है। कुछ मामूली विरोधाभास है जिनको अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।

15. अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी व लुहांगी से कोकसिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छा घोर उपहति कारित की।

16. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण पहाड सिंह एवं जवान सिंह को फरियादी कोकसिंह को सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहरा कर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

17. बचावपक्ष के विद्वान अभिभाषक के द्वारा अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। जहां कि दो अभियुक्तगण के द्वारा मिलकर लाठी व लुहांगी से एक व्यक्ति की मारपीट करते हुए अस्थिभंग कारित की गई है तथा अभियुक्तगण की आयु को भी देखते हुए एवं मामले की संपूर्ण परिस्थितियों तथा तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

18. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में बचावपक्ष की ओर से कम से कम दण्ड दिए जाने तथा अभियुक्तगण के साथ उदारता बरतने की प्रार्थना की गई है। अभियोजन की ओर से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दण्डादेश को उचित ठहराते हुए कोई परिवर्तन न किए जाने की प्रार्थना की गई है।

19. मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए जहां कि धारा-325 भा0दं0सं0 का अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है, वहां विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को दो-दो वर्ष के कठिन कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दण्ड से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दण्डादेश में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त दण्डादेश मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित प्रतीत होता है।

20. फलस्वरूप विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय और दण्डादेश किसी त्रुटि से ग्रसित न होने से उसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुजाइश नहीं है। तदनुसार प्रश्नगत निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखा जाता है।

21. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त

किए जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा लुहांगी एवं बांस की लाठी मूल्यहीन होने से पुनरीक्षण अवधि पश्चात नष्ट की जावे।

23. इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)